संख्या-86/2026/आई/1293070/2026/001-23-14002(003)/11/2026

प्रेषक,

शरद सक्सेना,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊः दिनांकः 09 अप्रैल, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में 3054 वी0आई0पी0 विजिट के कार्यो हेतु व्यवस्था योजनान्तर्गत कतिपय जनपदों के 04 वी0आई0पी0 विजिट कार्य के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-आई/525311/2026, दिनांक 28.03.2026, पत्रांक-आई/197045/2025, दिनांक 01.07.2025 एवं पत्रांक-आई/525307/2026, दिनांक 28.03.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वी0आई0पी0 विजिट के कार्यो हेतु व्यवस्था योजनान्तर्गत अधोलिखित तालिका में अंकित 04 कार्यो पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल लागत रू0 2291.06 लाख (रू0 बाईस करोड़ इक्यानबे लाख छः हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-5 में अंकित कुल रू0 1374.63 लाख (रू0 तेरह करोड़ चौहत्तर लाख तिरसठ हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	नि0ख0-3, गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में मा0 राष्ट्रपति, भारत गणराज्य के दिनांक 01 जुलाई 2025 को आगमन पर महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, बालापार रोड, गोरखपुर कार्यक्रम के अन्तर्गत हेलीपैड, पहुँच मार्ग एवं बैरिकेडिंग, मंच, पण्डाल, पकोडा, स्विस कॉटेज, पार्किग, साज-सज्जा एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्य	139.60	83.76
2	नि0ख0-3, गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में मा0 राष्ट्रपति, भारत गणराज्य के दिनांक 01 जुलाई 2025 को आगमन पर नवनिर्मित महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर का लोकार्पण कार्यक्रम के अन्तर्गत हेलीपैड, पहुँच मार्ग एवं बैरिकेडिंग, जर्मन हैंगर, मंच, पण्डाल, पकोडा, स्विस कॉटेज, पार्किग, साज-सज्जा एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्य	397.11	238.26

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

3	नि0ख0-1, वाराणसी	जनपद वाराणसी में दिनांक 11.04.2025 को मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार के मेहन्दीगंज पर पंडाल, हेलीपैड, पंडाल में पहुँच मार्ग के साथ सुरक्षा व्यवस्था हेतु बैरियर बैरीकेडिंग, वी0वी0आई0पी0 पार्किग, बस पार्किग, सुरक्षा व्यवस्था हेतु बैरियार, बैरिकेडिंग, मंच, स्विस कॉटेज एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार अन्य आवश्यक कार्य।	760.93	456.56
4	नि0ख0-1, वाराणसी	जनपद वाराणसी में दिनांक 02.08.2025 को मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार के बनौली (सेवापुरी ब्लाक) आगमन के फलस्वरूप पंडाल, हेलीपैड, पंडाल में पहुंच मार्ग के साथ सुरक्षा व्यवस्था हेतु बैरियर बैरिकेडिंग, वी0वी0आई0पी0 पार्किग, बस पार्किग, वर्षा ऋतु के कारण समस्त पार्किग में चेकर्ड प्लेट बिछाने का कार्य, सुरक्षा व्यवस्था हेतु बैरियर, बैरिकेडिंग, मंच, स्विस कॉटेज, एस0पी0जी0 एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार अन्य आवश्यक कार्य	993.42	596.05
		योग	**2291.06**	**1374.63**

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों:-</u>

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा की गयी मांग/सूचना के आधार स्वीकृत की जा रही है। यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों/मांग में कोई विसंगति भविष्य में प्रकाश में आती है अथवा पाया जाता है कि प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या तथ्य छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है, तो सम्बन्धित अभियन्ता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही नियमानुसार धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(2) प्रत्येक कार्य की कुल लागत का 60 प्रतिशत धनराशि निर्गत की जा रही है। अवशेष 40 प्रतिशत धनराशि निर्गत किये जाने के पूर्व लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-23-14002(003)/5/2026-आई/1281358/2026, दिनांक 26 मार्च, 2026 में उल्लिखित प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति/आख्या के उपरान्त द्वितीय किस्त शासन द्वारा निर्गत की जायेगी।

(3) मुख्यालय द्वारा उक्त बिलों का स्वस्तर से नियम व शर्तों के आलोक में परीक्षण करते हुए संस्तुत धनराशि का भुगतान किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण पत्र भी संबंधित फर्म/इकाई से अवश्य प्राप्त कर लिया जाए। यदि आवश्यक हो तो बिलों का प्री-ऑडिट कराकर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि बिल वास्तविकता के आधार पर भुगतान योग्य है। यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे राजकोष में समर्पित किया जायेगा।

(4) मुख्यालय प्रयोग की गयी सामग्री/ कार्यों के मानकों के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लेंगे।

(5) मुख्यालय समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए भुगतान की स्वीकृति प्रदान किये जाने से पूर्व औचित्य का स्वस्तर पर परीक्षण कर लेंगे तथा प्रकरण में सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व मुख्यालय का होगा।

(6) मुख्यालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण हेतु प्रस्तावित धनराशि को आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त प्रायोजन/कार्यों हेतु पूर्व में किसी प्रकार की धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी हो।

(7) मुख्यालय प्रश्नगत बिलों की पूर्व में दी गयी सहमति से मिलान करना सुनिश्चित करेगें, जिससे कि बिलों के भुगतान में द्विरावृत्ति न हो।

(8) किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता / ऑडिट प्रस्तर के संबंध में मुख्यालय स्वयं उत्तरदायी होगें।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(9) मुख्यालय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(10) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी मुख्यालय की होगी।

(12) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(13) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(14) मुख्यालय विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(15) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनु02 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दिनांक 25 जनवरी 2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके मुख्यालय द्वारा जमा की जायेगी।

(16) मुख्यालय द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(17) मुख्यालय द्वारा प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।

(18) मुख्यालय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(19) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व मुख्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(20) मुख्यालय द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 13,74,63,000 (रुपये तेरह करोड़ चौहत्तर लाख तिरेसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 3054808000800 वी.आई.पी. विजिट के कार्यों हेतु व्यवस्था **मानक मद** 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
शरद सक्सेना
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव ।</u>

प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।

2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।

4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।

5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।

6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

7- संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

8- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

11- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन।

13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ०प्र० शासन।

14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

15- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।

16- गृह (पुलिस) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।

17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शरद सक्सेना
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।